



F-07-08

F-07-11

सेना उडनयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र
CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION
IS/ISO: 9001:2008

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु
MARATHAHALLI COLONY P.O.
BENGALURU - 560 037

वर्ग अनुमोदन सं. 1558 का संशोधन सहित नवीकरण/

Amendment cum Renewal of Type Approval No. 1558

विषय/Sub: नॉन रिटर्न वाल्व, 8 मि मी,

पार्ट सं. ए1के-आई7-1150-000-002 एवं ए1के-आई7-1150-000-003

Non Return Valve, Dia 8 mm

Part No. A1K-I7-1150-000-002 & A1K-I7-1150-000-003

यह घोषित किया जाता है कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी (एडीए) द्वारा अभिकल्पित और विकसित तथा मेसर्स गवर्नमेंट टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर (जीटीटीसी), बेंगलूरु- 560 010 द्वारा उत्पादित " नॉन रिटर्न वाल्व 8 मि मी ", पार्ट सं. ए1के-आई7-1150-000-002 एवं ए1के-आई7-1150-000-003 को संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/ /टीए-1558 दिनांक 16 नवंबर 2010 द्वारा वर्ग अनुमोदन सं.1558 जारी किया गया था जिसकी वैधता 31 दिसंबर 2015 तक था। तदुपरांत 1) संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1545/अनुशेष-1, दिनांक 19 अप्रैल 2011 द्वारा अनुशेष एवं 2) संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1554 और 18टीए/1ए/संशोधन-1, दिनांक 15 दिसंबर 2015 द्वारा संशोधन जारी किया गया था।

This is to state that the "Non Return Valve, Dia 8 mm" bearing the Part No. A1K-I7-1150-000-002 & A1K-I7-1150-000-003, designed and developed by Aeronautical Development Agency (ADA) & manufactured by Government Tool Room & Training Centre (GTTC), Bengaluru- 560 010, was issued with Type Approval No. 1558 vide Ref. No.: CEMILAC/5070/TA-1558, Dated: 16th November 2010 with validity up to 31st December 2015. This was subsequently issued (i) Addendum vide Ref. No.: CEMILAC/5070/TA-1545/Addm-1, Dated: 19th April 2011, and (ii) Amendment vide Ref. No.: CEMILAC/5070/TA-1554 and 18TAs/1A/Amd-1, Dated: 15th December 2015.

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण 01 अक्टूबर 2016 से संतोषजनक निष्पादन फीडबैक के आधार पर किया जाता है तथा 30 सितम्बर 2021 तक वैध है बशर्ते इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन (3) महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर.सी.एम.ए (वायुयान), सेमिलैक, द्वारा मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु-560 037 से अनुरोध करना होगा।

This is to Certify that this Type Approval is hereby renewed w.e.f 01st October 2016 based on the satisfactory performance feedback and is valid up to 30th September 2021 unless otherwise suspended, cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (Aircraft), CEMILAC, C/o. Marathahalli Colony Post, Bengaluru – 560 037, Three (03) Months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback, quantity produced & rejections, if any, and its cause.

3. संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1558, दिनांक 16 नवंबर 2010 द्वारा जारी मूल वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र के अनुच्छेद 4 में निम्नलिखित संशोधन लागू होगा।

The Para four of original Type Approval Certificate vide Reference No.: CEMILAC/5070/TA-1558, Dated: 16th November 2010 is Amended as stated herewith.


“[अगर इस वर्ग अनुमोदन के संलग्न टाइप रिकॉर्ड में इंगित एसओपी के अनुसार निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलैक), बेंगलूरु की पूर्व सहमति लेनी होगी। यह वर्ग अनुमोदन किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।]”

“[Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru, is to be obtained to adopt any changes in the Type Approval, SOP and in the declared performance indicated in the enclosed Type Record. The Type Approval is not at all transferable to any other agency]”.

4. वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी और पूर्णतः लागू होगा।

All other conditions stipulated in the Type Approval Certificate remain unaltered and are fully applicable.

सं./No.: सेमिलैक/ CEMILAC/5070/टी.ए/TA- 1558/1R
दिनांक/Date : 11 November 2016
फैक्स सं./Fax No: 080-25230856


11th Nov 16
A. Swathi
ek


पी. जयपाल / P.JAYAPAL
मुख्य कार्यपालक(उड़नयोग्यता)/
Chief Executive (Airworthiness)